भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा

*नृपेंद्र वीर सिंह**
*रेनू राय***

आज की तालीम में दिमाग को जरूर तरजीह दी जा रही है लेकिन समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक हृदय के विकास की घोर उपेक्षा हो रही है। ऐसे में सामाजिक अंतर्विरोधों, आपसी द्वन्द्वों व अन्य विखण्डनकारी प्रवृत्तियों के रूप में वर्तमान सहस्त्राब्दी की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए शांति शिक्षा अनिवार्य है। इसे एक विषय के रूप में नहीं वरन् सभी विषयों में अंतर्रिहित सूक्ष्म व गुप्त पाठ्यक्रम के रूप मे नयी पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा इसके लिए आवश्यक शिक्षण योजनाओं, व्यूहरचनाओं, तकनीकियों व युक्तियों का भरपूर प्रयोग किया जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित व सुखमय हो सकें।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान क्षेत्र में हुई क्रांति ने मानव को विकास और समृद्धि के अप्रतिम युग में पहुचाँ दिया है। इस युग में चातुर्दिक विकास और समृद्धि के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। परंतु आवश्यकता से अधिक भौतिकता, अभिलाषा व अमानवीय कामनाओं के कारण आज मानव नित्य नैतिक, सामाजिक व मानवीय वर्जनाओं को भंग कर रहा है। मानव के इन कृत्यों ने उसे पुनः असभ्य और बर्बर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका स्पष्ट चित्रण समाचार पत्रों तथा समाचार चैनलों की खबरों में देखने को मिलता है जिसमें आतंकवादी घटनाओं एवं गुटीय दंगों, चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, जातिगत व वर्गगत उंमाद, नस्लवाद, सांप्रदायिकता आदि की बहुलता रहती हैं। ये खबरें हमें निरंतर याद दिलाती है कि हम अशांत युग में रहते है। अशांति की समस्या संभवतः अनादि काल से चली आ रही है जिसने वर्तमान युग में अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रारंभ में शिक्षा प्रसार के अभाव को अशांति का जनक माना जाता था किंतु आज तो

**शोधार्थी*, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
***शोधार्थी*, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

शिक्षा का प्रसार न केवल शहरों अपितु छोटे-छोटे गाँवों तक हो चुका है। (फिर भी अशांति में कमी की बजाउ वृद्धि ही हो रही है। जिस शिक्षा पद्धति से सभ्य सुसंस्कृत एवं मानवीय गुणों से सुशोभित नागरिकों का विकास होना चाहिए उसी के द्वारा असभ्य, अपराधी, स्वार्थी व अमानवीय दुर्गुणों से युक्त नागरिक तैयार हो रहे हैं। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य इस बात/तथ्य का सूचक है कि सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन की यह आवश्यकता शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने पर बल देती है। शांति शिक्षा की विषयवस्तु एवं सहगामी क्रियाओं का क्रियान्वयन ही नागरिकों में मानवता के प्रति प्रेम, अहिंसा, स्नेह, दया, करुणा, विश्वास, सहयोग, आदर, भाईचारा, सहनशीलता आदि गुणों का विकास कर सकता है।

अशांति की समस्या न केवल भारतीय सीमाओं तक सीमित है अपितु इसका स्वरूप वैश्विक है। आज प्रत्येक राष्ट्र शांति शिक्षा की आवश्यकता महसूस कर रहा है तथा इस ओर प्रयासरत भी है।

विश्वस्तर पर शांति शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयास

विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास किया गया है। विभिन्न देशों में शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यत: तीन पक्षों पर केंद्रित है संचार, सहयोग व समस्या समाधान। बुरुडी (1994), क्रोशिया व लाइबेरिया (1993) में इन पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन व शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निर्देशन पुस्तिकाओं (Mannual) को तैयार किया गया है। इसी प्रकार की निर्देशन पुस्तिकाओं का उपयोग श्रीलंका में किया जा रहा है जो इस बात पर बल देता है कि विद्यालयों के मूल विषयों के साथ शांति शिक्षा को समंवित करके शिक्षण कार्यक्रम हो। सुडान में खेलकूद, कला व विज्ञान प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोग व सम्मान की भावना का विकास किया गया है। रवांडा, इजिप्ट, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, लेबनान, श्रीलंका व अन्य कई देशों में शांति के संदर्भ में द्वंद वियोजन क्रियाओं व सामुदायिक सेवाओं आदि कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

भारत में शांति शिक्षा का विकास

यूनेस्को की 'Word Directory of Peace Research and Training Institutions (1994) की रिर्पोट के अनुसार भारत में शांति शिक्षा के क्षेत्र में 25 ऐसे संस्थान हैं जो शांति शिक्षा से संबंधित शोध कार्य व शैक्षणिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

इस क्रम में सबसे पहले 1959 में गाँधी शांति प्रतिष्ठान की स्थापना नई दिल्ली में की गई। इसी तरह के कई अन्य संस्थान जैसे Gandhi Institute of Studies, वाराणसी (1961), The Center for Gandhian Studies and Peace Research, दिल्ली विश्वविद्यालय, Institute for Defence Studies & Analysis, Peace Research (1971), गुजरात विद्यापीठ और हाल ही में मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च (2009) की स्थापना बी. एच. यू., वाराणसी में की गई है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-

2005 के विकास की प्रक्रिया के दौरान शांति के लिए शिक्षा नामक राष्ट्रीय फोकस समूह की स्थापना की गई थी। इस समूह द्वारा तैयार किए गए आधार पत्र में स्कूलों में शांति के लिए शिक्षा हेतु कई संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 सुझाव देती है कि,

''शांति की शिक्षा एक ऐसे सरोकार के रूप में विकसित हो जो समूचे स्कूली जीवन पर छा जाए- पाठ्यचर्या, कक्षा का वातावरण, स्कूल प्रबंधन, शिक्षक-विद्यार्थी संबंध, और स्कूल से जुड़ी तमाम गतिविधियाँ। अत: यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या और परीक्षा का इस दृष्टि से मूल्याँकन हो कि कहीं ये विद्यार्थियों में अपर्याप्तता, निराशा, धीरज और असुरक्षा आदि के भावों को बढ़ावा तो नहीं दे रहें हैं। साथ ही, आसपास और मीडिया द्वारा प्रचारित हिंसा का बच्चों के मन पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसे सायास दूर कर नैतिक एवं शांतिपूर्ण जीवन के उद्देश्यों के गहरे अर्थों को विकसित किया जाए। शिक्षा सच्चे अर्थ में व्यक्तियों के अपने मूल्यों को स्पष्ट कर पाने में सहायक हो। उनको सजग निर्णय की दिशा में प्रेरित करें, हिंसा के स्थान पर शांति को चुनने के लिए प्रेरित करें, शांति निर्माण की प्रक्रिया से उन्हें जोड़े न कि केवल शांति के उपभोक्ता बने रहे।''

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या शांति शिक्षा एक अलग विषय के रूप में लागू हो? या सभी विषयों में शांति शिक्षा का एक-एक अध्याय जोड़ दिया जाए? या सभी विषयों में समाहित विषय-वस्तु का शिक्षण शांति शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हो? जहाँ तक शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में लागू करने का प्रश्न है यह किसी भी दृष्टिकोण से व्यावहारिक व तार्किक नहीं है क्योंकि विद्यालयों में पूर्व से ही विषयों की सँख्या की अधिकता है। दूसरी बात शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में लागू कर देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पर्यावरण शिक्षा हो सकता है।

शांति शिक्षा का सभी विद्यालयी विषयों में एक-एक अध्याय जोड़ना कुछ सीमा तक व्यावहारिक प्रतीत होता है किंतु सभी विषयों में एक-एक अध्याय की वृद्धि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अधिभार ही होगी। दूसरी बात एक-एक अध्याय के अध्ययन मात्र से विद्यार्थियों के व्यवहार तथा कृत्यों में आपेक्षित परिवर्तन प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। हमारी दृष्टि से सबसे तार्किक व उपयुक्त समाधान यह होगा कि सभी विद्यालयी विषयों में समाहित विषय-सामग्री/वस्तु का अध्ययन-अध्यापन शांति शिक्षा के संदर्भ में हों। इससे विद्यालयी समय-सारणी, शिक्षकों व विद्यार्थियों के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। पर प्रश्न यह उठता है कि सभी विद्यालयी विषयों में समाहित विषय-सामग्री/वस्तु का शिक्षण शांति शिक्षा के प्ररिप्रेक्ष्य में कैसे होगा तथा शांति शिक्षा का स्वरूप/प्रारूप कैसा होगा?

शांति शिक्षा का स्वरूप

सामान्यत: किसी भी विषय को दो भागों में तैयार किया जाता है। एक सैद्धांतिक भाग तथा दूसरा व्यावहारिक/प्रायोगिक भाग। शांति शिक्षा

के सैद्धांतिक और व्यावहारिक भाग में किस प्रकार के ज्ञान व क्रियाओं को शामिल किया जाए? इसके लिए सीमा निर्धारक बिंदुओं का होना आवश्यक है। शांति शिक्षा के ज्ञान व क्रियाओं के निर्धारण के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्धारित किए गए सीमा निर्धारक बिंदु सबसे उपयुक्त होगें। इन्हें निम्न चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है—

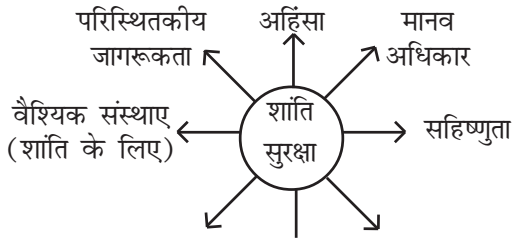

यूनिसेफ द्वारा निर्धारित किए गए इन सीमा निर्धारकों को ध्यान में रखते हुए शांति शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यावहरिक पक्ष में निम्न ज्ञान व क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

शांति शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष में निम्न विषयवस्तु को समाहित किया जा सकता है।

- शांति दूत के रूप में प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन-चरित्र व शांति तथा मानवता के लिए किए गए कार्यों का विवरण। जैसे- जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, संत कबीर, महात्मा गाँधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, आँग शान सू की आदि।
- वैश्विक शांति स्थापना हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं के ऐतिहासिक उद्‌भवों के कारणों व कार्यों का तार्किक विवरण। जैसे- संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ आदि।
- अंतर्राष्ट्रीय अवबोध व अंतर सांस्कृतिक विविधता व समझ को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं की महत्ता एवं कार्यों का विवरण। जैसे- यूनेस्कों, यूनिसेफ आदि।
- मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों की समझ से संबंधित विषय।
- सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबंधित विषय एवं सामाजिक समस्याओं के उद्‌भव के कारणों व उनके समाधान में मानव की भूमिका के महत्व संबंधित विषय जैसे- नस्लवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि।
- अहिंसा, सहिष्णुता व जीवन की महत्तता से संबंधित विषय।
- पारिस्थितकीय जागरूकता से संबंधित विषय, जैसे पर्यावरण प्रदूषण आदि।

शांति शिक्षा के व्यावहारिक/प्रायोगिक भाग के अंतर्गत निम्न क्रियाएँ समाहित की जा सकती है-

- प्रत्येक विद्यालय में शांति क्लब बनाया जाए। इसके अंतर्गत शांति डायरी, शांति पत्रिका का प्रकाशन, शांति जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंत:क्रिया कार्यक्रम, सामाजिक समस्याओं पर स्वस्थ वार्ताओ आदि कार्यक्रमों को करवाया जा सकता है।
- रोल प्लेइंग गेम इसके अंतर्गत महापुरुषों के जीवन-चरित्र पर आधारित अभिनय कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं।
- ध्यान, योग व प्राणायाम संबंधी कार्यक्रम का आयोजन विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जा सकता है।

- सामुदायिक सेवाओं का आयोजन करवाया जा सकता है।
- मनोवैज्ञानिक कार्यशालाओं व निर्देशन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन।
- अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शांति शिक्षा के अमुख प्रारूप को किस स्तर से लागू किया जाए एवं शांति शिक्षा के प्रारूप को कैसे विद्यालय विषयों व पाठ्-सहगामी क्रियाओं के साथ समाहित किया जाए? हमारे दृष्टिकोण में प्राथमिक पाठशाला से ही शांति शिक्षा लागू की जानी चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक काल में दी गई शिक्षा व संस्कारों का विद्यार्थियों के जीवन में अमिट प्रभाव रहता है। अब प्रश्न आता है शांति शिक्षा को विद्यालय विषयों व पाठ्-सहगामी क्रियाओं के साथ समाहित करने का। यह सर्वविदित है कि शांति के सैद्धाँतिक पक्ष में समाहित विषय-सामग्री प्रत्यक्षयत: विद्यालीय विषयों से सहसंबंधित है। केवल शिक्षकों को शिक्षण कला एवं शिक्षण शैली में अपेक्षित परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शांति शिक्षा के सैद्धाँतिक पक्ष को निम्न प्रकार से विद्यालयी विषयों से संबंधित करके अध्ययन-अध्यापन किया जा सकता है-
- शांति दूत के रूप में स्थापित महापुरुषों का जीवन चरित्र व कार्यों का विवरण इतिहास विषय में समाहित रहता है। इन महापुरुषों के विषय में शिक्षण करते समय शिक्षक इनके कार्यों व संदेशों को तार्किक व प्रासंगिकता उस कसौटी में बाँधे जो विद्यार्थियों में शांति, सहिष्णुता, समभाव, सहयोग व भाईचारा आदि के गुणों का संचार कर सके। विद्यार्थियों में यह भावना जाग्रत की जाए कि वह महापुरुषों की शिक्षा व संदेशों को अपने आचरण में उतार कर ही मानवता का कल्याण कर सकते हैं। इन विषयों पर किये जाने वाले शिक्षण का स्तर चिंतन स्तर का होना चाहिए।
- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ, न्यायपालिका आदि विषय नागरिकशास्त्र में समाहित रहते हैं। इन संस्थाओं पर शिक्षण करते समय इनके उद्भव के कारणों, कार्यों व वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता का तार्किक व व्यवहारिक विवेचन किया जाए। साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध तथा अंतर- सांस्कृतिक विविधता व समझ को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं (यूनेस्को आदि) के महत्व व कार्यों का शिक्षण इनके उल्लेखनीय योगदानों व भूमिकाओं के संदर्भ मे किया जाना चाहिए।
- नागरिकशास्त्र विषय में मानव अधिकार व कर्तव्य एवं जीवन के प्रति सम्मान की भावना आदि से संबंधित विषय समाहित रहते हैं। इन विषयों पर शिक्षण करते समय विद्यार्थियों में इस मनोवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए कि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग व कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो सकें तथा दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकें। साथ ही साथ विद्यार्थियों को प्राकृतिक अधिकारों के प्रति सजग निष्ठावान बनाने का प्रयत्न किया जाए।
- सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं जैसे- क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जातिवाद

आदि को रखा जा सकता है। इन सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति कारणों व समाधानों का शिक्षण शांति स्थापना के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। विद्यार्थियों को उन तथ्यों से अवगत कराया जाए जो मानव से संबंधित व सामाजिक समस्याओं की उत्पति के कारक हैं। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में इस मनोभावना का विकास किया जाए, कि वे प्रत्येक सामाजिक समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। यदि वह प्रयास न्यायोचित व मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है।

- विज्ञान और भूगोल विषय के अंतर्गत जैविकीय विविधता तथा पारिस्थितिकीय जागरूकता से संबंधित विषयों का अध्यापन किया जा सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण और पारिस्थितिकीय असंतुलन से जुड़े मानवीय कारकों से विद्यार्थियों को अवश्य अवगत कराया जाए। उन्हें यह भी बताया जाए कि मानव की स्वार्थवादी मानसिकता व अमानवीय लोलुपता से जैव विविधता तथा पर्यावरण को क्या हानि हुई और क्या और होने की संभावना है एवं इसका मानव जीवन पर क्या दुष्परिणाम हो सकता है? विद्यार्थियों को उन क्रियाओं व कार्यों के प्रति अवश्य सजग किया जाए, जोकि उनकी अनभिज्ञता के कारण पर्यावरण के लिए क्षतिकारक होते है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में इस भावना का संचार किया जाए कि वह इन समस्याओं का समाधान करने में वह सक्षम है।
- भाषा में समाहित कविताओं व कहानियों का शिक्षण सामाजिक वास्तविकता के धरातल पर किया जाए। कविताओं व कहानियों में समाहित शांति, भाईचारा, समरसता आदि के प्रंसगों का भावप्रधान व अर्थपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया जाए।

यह सर्वविदित है कि प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है। शांति शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को सरलता से विद्यालय की पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में समन्वित किया जा सकता है। इन्हें विद्यालीय समय-सारणी में निम्न प्रकार से लागू किया जा सकता है–

- विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना सभा होती है। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन अलग-अलग धर्मों की कोई एक प्रार्थना होनी चाहिए। विद्यार्थियों से प्रार्थना सभा में प्रत्येक धर्म से जुड़े नीति वाक्यों व प्रेरक प्रंसगों को बुलवाया जाए। शिक्षक प्रतिदिन किसी एक समसामयिक घटना के संदर्भ में विद्यार्थियों के विचारों को सुनें। यदि नकारात्मकता के भाव विद्यार्थियों के विचारों में समाहित हो तो उसका तत्काल सकारात्मक व मानवीय समाधान शिक्षक द्वारा बताया जाए। इस कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों में सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, सहिष्णुता व मानवीय नैतिकता का विकास होगा।
- प्रत्येक विद्यालय में शांति क्लब बनाया जाए। इसके अंतर्गत एक शांति डायरी बनवाई जाए। जिसमें विभिन्न धर्मों के पवित्र कथनों, शांति स्थापना से जुड़े किसी एक विषय का विवरण, सम-सामायिक घटनाओं पर उनके विचार तथा शांति के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास आदि का विवरण समय और दिनाँक

के साथ नोट करवाया जाए। इससे विद्यार्थियों में शांति के प्रति जागरूकता, समभाव व कर्तव्यनिष्ठा के गुणों का विकास होगा।

- शिक्षक विद्यार्थियों के सहयोग से वर्ष में एक बार प्रत्येक कक्षा से शांति पत्रिका का प्रकाशन करवाए। शिक्षक शांति स्थापना से जुड़े सम-सामायिक विषयों का निर्धारण कर विद्यार्थियों को लेख व कहानी लिख कर लाने को कहें। यह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य हो। पत्रिका के निर्देशक-मण्डल में विद्यार्थियों की सहभागिता अवश्य रखी जाए। इसके द्वारा विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता सहयोग, जागरूकता (शांति के संदर्भ) आदि गुणों का विकास होगा।
- सामुदायिक सेवाओं एवं जागरूकता रैलियों का आयोजन समय-समय पर विद्यालय में करवाया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में समाज सेवी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाय। सामुदायिक सेवाओं व जागरूकता कार्यक्रम के विषय व आयोजन की तैयारी विद्यार्थियों से ही करवाई जाए। इससे उनमें समुदायिकता, सहयोग, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होगा।
- विद्यालयों में रोल प्लेइंग गेम का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ करवाया जाय। इसके अंतर्गत महापुरुषों के जीवन चरित्रों पर आधारित अभिनय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास होगा।
- विद्यालय ध्यान योग व प्राणायाम संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन विषय विशेषज्ञों द्वारा करवा सकता है। इन कार्यक्रमों के द्वारा मानसिक आध्यात्मिक शांति के गुणों का विकास होगा। ये सभी क्रियाएँ मन को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। इस संदर्भ में गौतम बुद्ध के निम्न विचार महत्वपूर्ण है–

  ''सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजते हैं। यदि मन रूपांतरित हो जाए, तो क्या दुश्कर्म बने रह सकते हैं?''
- विद्यालयों में मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से कार्यशालाओं व निर्देशन कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाए। कार्यशालाओं में द्वंद्व वियोजन संबंधी कार्यक्रम व द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने संबंधी कार्यक्रम करवाये जाए। इन कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों में यह क्षमता विकसित की जाए कि वह विषय परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को शांति के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित कर सके। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी द्वंद्व को वियोजित कर सकेंगें व विषय परिस्थितियों में उचित, सकारात्मक व शांतिमय निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकेंगें।

शांति शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देने एवं शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए निर्देशन पुस्तिका (Manuals) तैयार करने की आवश्यकता है। इन निर्देशन पुस्तिकाओं के माध्यम से शांति की सैद्धांतिक जानकारी को व्यावहारिक रूप के क्रियाकलापों में एकीकृत करने में सहायता मिल सकेंगी। इसके लिए प्रशिक्षिण कार्यक्रम, गोष्ठियों व कार्यशालाओं आदि के आयोजन के साथ-साथ ई-लर्निंग व संचार के अन्य माध्यमों का भी उपयोग किया जा

सकता है। शांति शिक्षा विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षकों के सहयोग से शांति शिक्षा का संदेश देने वाले कार्यक्रमों का विकास किया जाए और इनका प्रसारण दूरदर्शन और रेडियों जैसे संचार माध्यमों से किया जाये।

निष्कर्ष

शांति शिक्षा लंबे समय से विद्वानों और शैक्षिक संस्थाओं में परिचर्चा का विषय रहा है। इस क्रम में एन.सी.ई.आर.टी. ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा–2005 शांति शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया एवं इस संदर्भ में कुछ क्रियाओं का उल्लेख भी किया है किन्तु इसका आधारभूत स्वरूप अभी तक निर्धारित नहीं हो सका। प्रस्तुत पत्र शांति शिक्षा के स्वरूप और इसको विद्यालयीय विषयों में समावेशित करने के आधार बिंदुओं पर केंद्रित है। शांति शिक्षा का उपरोक्त प्रारूप अर्थात सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पक्ष वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में परिलक्षित एवं व्याप्त मानव कर्मजनित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। शांति शिक्षा के इस प्रारूप में अंतनिर्हित शांति के क्रियाकलापों में सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंधों के सृजन और संवर्द्धन के अविचल प्रयास शामिल हैं, जो मानव कल्याण और सामाजिक खुशहाली से संबंधित है। शांति शिक्षा द्वारा यद्यपि अशांति की समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है, किंतु इसके द्वारा मानव आचरण व प्रवृत्ति में सामाजिक सद्भाव व भाईचारा सहिष्णुता, अहिंसा आदि मानवीय गुणों का अवश्य पल्लवन किया जा सकता है।

संदर्भ

चतुर्वेदी, देवदत्त (स.) 1989. *कृष्ण यजुर्वेदीय, तैत्तिरीय संहिता (श्रीमत् सायणाचार्य – विरचितभाट्य–समेता हिन्द्यनुवाद–टिप्पण्यादि–समन्विता च)*, नई दिल्ली, श्री लालबहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठम.

हैरिस ईआन, मारिसन मैरी 2003. '*पीस ऐजुकेशन*, लंदन, मैकफारलैंड.

गाल्टुंग जोहान 1996. '*पीस बाई पीसफुल मींस*' लंदन–नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन.

हेंडरसन जार्ज 2006. '*एजुकेशन फार पीस : फोकस आन मैनकाइंड*' एसोसिएशन फार सुपरवीशन एण्ड करिकुलम डेवलेपमेंट, मीचिगन.

नेशनल कॅरीकुलम फ्रेमवर्क 2005. नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी.

सोलोमन और नेवो 2002, *पीस एजुकेशन,* द कानसेप्ट प्रिंसिपल्स एण्ड प्रेक्टिस एराउण्ड द वर्ल्ड, लंदन, लॉरिइंस ईरलबम एसोसिएटस.

मारिया मोनटोसरी 1972. *एजुकेशेन एण्ड पीस,* रेजेन्सी. यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिगन डिजीटाइज्ड.

उप्पल, श्वेता 2007. *राजनीतिक सिद्धांत.* नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी..

गुप्ता, एस.पी. और अलका गुप्ता 2008. '*भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ*' इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन.